दिनांक 25/07/2023

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2023 हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

(Advisory for candidates)

1. राज्य की शासकीय एवं निजी/ चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त राज्य कोटे की सीटों (एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस), जिसमें निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एन0आर0आई0 कोटे की सीटें भी सम्मिलित हैं में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रकिया मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2023–24 के माध्यम से की जायेगी।

2 नीट यू0जी0 2023 के समस्त पात्र अभ्यर्थी जो उपरोक्त काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपनी केडिंडेट प्रोफाईल का लॉगिंन आई0डी0 एवं पासवर्ड एवं अन्य संबंधित जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, जिससे इसका दुरूपयोग न हो।

3. रजिस्ट्रेशन से पूर्व संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित रजिस्ट्रशन यूजर मेनुअल एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन नियम 19 जून 2019, 05 अक्टूबर 2021 एवं संशोधन जुलाई 2022 तथा संशोधन दिनांक 10 मई 2023 को भली भॉती पढ़कर समझ लें। किसी प्रकार का संशय होने पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा काउंसिलिंग की ई–मेल mpugpgcounselling@gmail.com पर अपनी समस्या प्रेषित कर इसका निराकरण करायें। रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरान्त समय सारणी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शित निर्धारित समय सीमा तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाईल की प्रवृष्टियों में संशोधन कर पायेगा।

4. **रजिस्ट्रेशन के समय केंडिडेट प्रोफाईल में बैंक का विवरण भरते समय सुनिश्चित करे कि बैंक खाता (Bank Account) निम्नानुसार हो :–**

   1. बैंक खाता सेविंग अथवा करंट खाता हो।

   2- बैंक खाता किसी अव्यस्क (Minor) का नहीं होना चाहिये।

   3- बैंक खाता के0वाई0सी0 के अनुरुप (KYC compliant)सक्रिय होना चाहिये।

   4- यदि यह बचत बैंक खाता है, तो बचत बैंक खाता एक सामान्य बचत बैंक होना चाहिये जहां खाते में अधिकतम शेष/क्रेडिट की कोई सीमा नहीं है।

5. प्रधान मंत्री जनधन योजना **(PMJDY)** खाता और शून्य शेष खाता (Zero Balance) मान्य नहीं है।

5. अभ्यर्थी को पंजीकृत (Registered) तभी माना जायेगा जब अभ्यर्थी ने पंजीयन हेतु ऑनलाईन फीस जमा कर दी हो एवं अभ्यर्थी के पास एमपी आनलाईन पोर्टल से जनरेट की गई रजिस्ट्रेशन स्लिप अनिवार्य रूप से हो। पंजीयन शुल्क (Registration fee) अप्रतिदेय (Non refundable) है।

6. पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

7. काउंसिलिंग के समस्त चरणों की प्रक्रिया ऑनलाईन की जानी है अतः अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय, द्वितीय चरण एवं मॉप अप चरण की काउंसिलिंग में नई च्वाईस फिलिंग करने से पूर्व जमा कराई जाने वाली अग्रिम राशि तथा प्रवेश के समय संस्था की निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। अभ्यर्थी किसी भी खाते से निर्धारित फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं ऑनलाईन आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी के माध्यम से कर सकता है। फीस के भुगतान हेतु अभ्यर्थी एक से अधिक नेट बैकिंग एकाउंट, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भुगतान संबंधी परेशानी से बचने के लिए खातों में संस्था की निर्धारित फीस के अनुसार पर्याप्त राशि रखें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किये जाने वाले लेन–देन (Transaction) राशि की सीमा बढ़ा लें। मॉप अप चरण के उपरान्त किसी भी कारण से रिक्त रही वेकेन्सी पर संस्था स्तर पर प्रवेश के समय संस्था का निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा किसी भी माध्यम से किया जा सकता है।

8. पंजीयन फार्म में फोटो आईडी के रूप अभ्यर्थी अपना वोटर आईडी कार्ड / पैन कार्ड / डाईविंग लांइसेंस कार्ड / पासपोर्ट अथवा उपरोक्त उपलब्ध न होने की स्थिति में 12वीं कक्षा का फोटो युक्त प्रवेश पत्र अथवा मार्कशीट / बैंक पासबुक / विघालय